(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 48 / 2013 **जीसीएमएस नम्बर :– 2013 / 00033**

1. औमप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल उम्र 60 साल जाति मेघवाल पेशा काश्त निवासी मोहल्ला पिठोला तहसील बुहाना हाल आबाद डी–26 द्वितीय–ए खेतड़ी नगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

.................**वादी**

बनाम

1. मु. गीता देवी पत्नी स्व0 मनीराम उम्र 40 वर्ष
2. राजकुमार उर्फ जितेन्द्र पुत्र स्व0 मनीराम उम्र 20 वर्ष
3. इन्द्राज पुत्र स्व0 उदमीराम उम्र 38 वर्ष
4. मु. संतोष देवी पत्नी स्व0 उदमीराम उम्र 55 वर्ष
5. उप पंजीयक बुहाना
6. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

.................प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०)

दावा बाबत– घोष्णामक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

<u>–:निर्णय:–</u> दिनांक:–

(1) वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम पिठोला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल खाता संख्या 38 के ख0 न0 301 रकबा 1.7900 है0 जमाबन्दी संम्वत 2067 लगायत 2070 में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 एवं स्व फत्ताराम पुत्र स्व0 मातादीन खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इस भूमि में उक्त फत्ताराम पुत्र स्व0 मातादीन का 1 / 3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।
2. यह कि विवादग्रस्त भूमि जिसका विवरण (वाद पत्र के खण्ड संख्या 3 में दिया गया है) में उक्त फत्ताराम पुत्र स्व0 मातादीन का 1 / 3 हिस्सा अर्थात 0.86 / दर्ज रिकार्ड है। तथा उक्त फत्ताराम व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के हकपूर्वाधिकारीगण ने आपनी मीटस एण्ड बाउण्डस से विभाजन कर रखा था उसी अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज कास्त थे उसमें से वादी ने दिनांक [illegible]6.1994 अक्षरे आठ जून उन्नीस सौ चौरानवे को बिल एवज 2800[illegible] हजार में चार बीधा खाम / क्चची अर्थात 0.44 है0 भूमि क्रय करके मातबीर [illegible] पुत्र स्व0 मगाराम जाति मेघवाल निवासी पिठौला की उपस्थिति में विक्रय की सम्पूर्ण रकम उसी रोज विक्रेता को देदी थी। तथा उक्त विक्रेता ने उक्त विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा भी वादी / क्रेता को उसी रोज करवा दिया था। इस प्रकार वादी क्रय की तिथि दिनांक 08.06.1994 अक्षरे आठ जून उन्नीस सौ चौरानवे से आज तक निरन्तर विवादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। इस भूमि की चतुर सीमायें निम्न प्रकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(क) उत्तर दिशा में – जोहड़ स्थित है
(ख) दक्षिण दिशा में – मनीराम की भूमि स्थित है। (प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हकपूर्वाधिकारी है।)
(ग) पूर्व दिशा में – जयचन्द की भूमि स्थित है।
(घ) पश्चिम दिशा में – सड़क व उसके बाद इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि स्थित है।

3. यह कि दिनांक 08.06.1994 अक्षरे आठ जून उन्नीस सौ चौरानवे से लगातार वादी वादग्रस्त भूमि जिसका विवरण (वाद पत्र के खण्ड संख्या 3 में दिया गया है।) काबिज काश्त रहा है से फत्ताराम पुत्र स्व0 मातादीन ने सन 2007 में बेदखल करने के भरपूर कोशिश की तथा उसने वादी को इस विवादित भूमि से बेदखल कराने के लिए (प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4) भी उसके सहयोग में थे परन्तु वह विवादग्रस्त भूमि का वादी से कब्जा वापिस नही ले पाया तथा वादी क्रय की तिथि से लगातार विवादग्रस्त भूमि पर उसकी मर्जी के विरूद्ध काबिज काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार वादी इस विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की मर्जी के विरूद्व काबिज काश्त चला आ रहा है और वह वादी को इस भूमि से बेदखल करने में नाकाम रहे हैं। इस प्रकार धारा 63 (iv) काबिज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार वादी दिनांक 08.06.1994 से लगातार आज तक विवादग्रस्त भूमि पर उक्त स्वर्गीय फत्ताराम व उसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की मर्जी के विरूद्व इस भूमि पर काबिज काश्त होने से उन्हे इस विवादग्रस्त भूमि के कब्जे से वंचित कर दिया है तथा उनका इस भूमि बाबत वादी से कब्जा वापिस लेने का अधिकार 12 वर्ष की सीमा अवधि पार हो चुका है। इसलिए विवादग्रस्त भूमि बाबत उक्त स्वर्गीय फत्ताराम के खातेदारी अधिकार समाप्त होकर वादी के पक्ष में संन् 2008 में उत्पन्न हो चुके हैं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में वादी वाद वर्णित भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र के खण्ड सख्या 3 में दिया गया है का कानूनी रूप से खातेदार काश्तकार हो चुका है।

4. यह कि उक्त फत्ताराम पुत्र मातादीन दिनांक 12.06.2007 को देहान्त हो चुका है के पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 ने भी कई मरतबा वादी को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने कोशिश की परन्तु वह वादी को उसके हक अधिकार वाली वादग्रस्त भूमि से बेदखल कराने में असफल रहे तथा वह जैसाकि वाद पत्र की खण्ड संख्या 5 में वर्णित किया जा चुका है ना ही जो उक्त स्वर्गीय फत्ताराम अपने जीतेजी इस विवादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी से वापिस मियाद के अन्दर ले सका है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् ना ही उसके वारिसान सहखातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 इस विवादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी से प्राप्त कर सके हैं। इस प्रकार वादी वाद पत्र के खण्ड संख्या 5 में वर्णित अनुसार इस भूमि का [illegible] तथा उक्त स्वर्गीय फत्ताराम के रकबा 0.44 है0 अर्थात 4 बीघा कच्ची / ख[illegible] मालिकाना अधिकार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी के [illegible] उक्त स्वर्गीय फत्ताराम व उसके वारिसान के अधिकार [illegible] कोई बाधा या अडचन का कारण नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:35 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि दिनांक 08.02.2013 को प्रसाशन गावों के सगं अभियान 2013 के दौरान ग्राम पंचायत गुर्जरवास में प्रतिवादिया संख्या 4 ने एक फर्जी प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 6 के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर उसने उक्त स्वर्गीय फत्ताराम की पत्नी बनकर उसके हिस्से की भूमि का नामान्तरण अपने नाम से दर्ज कराने के लिए, कानूनी कार्यवाही की

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादी को धमकी दी कि वह उक्त स्वर्गीय फत्ताराम की पत्नी है तथा वह इस भूमि का नामान्तरण उक्त फत्ताराम के स्थान पर अपने नाम दर्ज करवा रही है तथा वादी को जबरन लटठ् के बल पर बेदखल कर इस भूमि को किसी भू–माफिया को बेचान करेगी।

6. यह कि प्रतिवादीया संख्या 4 यदि अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो जायेगी तो वादी को ऐसी क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नही किया जा सकेगा।

7. यह कि ऐसी परिस्थितियों में वादी के लिए यह आवश्यक हो गयाय है कि वह वाके ग्राम पिठौला स्थित भूमि खाता संख्या 38 खसरा नम्बर 301 रकबा 1.7900 है0 में से रकबा 0.44 है0 अर्थात 4 बीधा कच्ची/खाम का न्यायालय श्रीमान जी से अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वह वादी के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की बाधा या रूकावट पैदा ना करें तथा प्रतिवादीया संख्या 4 इस भूमि के किसी भू–भाग का विक्रय किसी को ना करें तथा ना ही वह इस भूमि का नामान्तरण उक्त स्वर्गीय फत्ताराम की पत्नी बनकर अपने नाम करवाये तथा इस भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। ऐसा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 ना स्वयं करें ना ही किसी अपने मिलने–जुलने वालों, ईष्ट मित्रों, परिजनों से करावें। तथा प्रतिवादी संख्या 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वह प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 द्वारा इस भूमि बाबत कोई विक्रय पत्र या रहननामा प्रस्तुत करने पर तस्दीक ना करें, ना स्वयं ना ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों/अधिकारीयों से करवायें। तथा प्रतिवादी संख्या 6 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे किवह इस विवादग्रस्त भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

8. यह कि वादी को वादकारण सर्वप्रथम दिनांक 08.02.2013 को प्रतिवादीयां संख्या 4 द्वारा उक्त स्वर्गीय फत्ताराम की फर्जी पत्नी बनकर उसके हिस्से की भूमि का नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही बाबत प्रतिवादी संख्या 5 के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने व वादी को उसके खातेदारी की विवादग्रस्त भूमि से जबरन् लटठ् के बल पर बेदखल करने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया किः–

(क) यह कि वाके ग्राम पिठौला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल खाता संख्या 38 के खसरा नम्बर 301 रकबा 1.7900 है0 भूमि में से रकबा 0.44 है0, अर्थात 4 बीधा कच्ची/खाम जिसका वाद पत्र के खण्ड संख्या 3 में वर्णन किया गया है का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:35 IST
Reason: SelfAttested

(ख). यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वाके ग्राम पिठौला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल खाता संख्या 38 खसरा नम्बर 301 रकबा 1.7900 है0 भूमि में से रकबा 0.44 है0, अर्थात 4 बीधा कच्ची/खाम भूमि जिसका वाद पत्र के खण्ड संख्या 3 में वर्णन किया गया है से वादी को जबरन लटठ् के बल पर बेदखल न करें तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें ऐसा ना तो स्वयं करें ना ही अपने परिजनों, ईष्टजनों, मित्रों एवं एजेण्ट्स आदि से करावें तथा इस भूमि के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

तथा प्रतिवादी संख्या 5 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 द्वारा इस भूमि बाबत कोई विक्रय पत्र या रहननामा प्रस्तुत करने पर उसे तस्दीक ना तो स्वयं करे तथा ना ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों / अधिकारियों से करावें। तथा प्रतिवादी संख्या 6 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह उक्त विवादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तथा इस भूमि का बाबत नामान्तकरण बहक प्रतिवादीया संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत करने पर उसे तस्दीक ना करें। ऐसा न स्वयं करें तथा ना ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों / अधिकारियों से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की तामील असालतन होकर प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की और से श्री नरपाल सिंह एडवोकेट द्वारा वकालतनामा / जवाब प्रतिदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से श्री मनोज भगराज एडवोकेट द्वारा वकालतनाम / इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादी 5, 6 की ओर से कोई उपस्थित नही आया इनकी विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 04.04.2013 को लाई गई। बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम पिठौला स्थित भूमि हाल खाता संख्या 38 के ख0 न0 301 रकबा 1.79 हैक्टर भूमि में से 0.44 है0, अर्थात 4 बीध कच्ची / खाम में वादी को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 3, 4 की और से काउन्टर कलेम निम्न प्रकार रहा कि :–

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 3 जिस भांति दर्ज हे स्वीकार नहीं। जमाबन्दी संवत 2067 लगायत 2070 खाता संख्या 38 में प्रतिवादीया संख्या 4 का नाम अंकित नही है। बल्कि उसके पति फताराम पुत्र मातादीन का 1 / 3 हिस्सा दर्ज है, जिस पर फताराम की मृत्यु के पश्चात में प्रतिवादीया सन्तोष देवी स्वयं निरंतर, शान्तिपूर्वक, अबाधष्प से काबिज काश्त चली आ रही हु।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 4 जिस भांति दर्ज है, स्वीकार नहीं। वाद पत्र के खण्ड संख्या 3 में वाद पत्र के अनुसार समस्त भूमि विवादग्रस्त नहीं है। खण्ड संख्या 3 में वर्णित भूमि में मुझ प्रतिवादीया संख्या [illegible] का 1 / 3 हिस्सा सही दर्ज है। लेकिन 1.79 है0, भूमि का 1 / 3 [illegible] 0.[illegible] – 1 / 2 ऐयर नही हो सकता [illegible] पर मै प्रतिवादिया 1 / 3 भाग में 0.60 ऐयर [illegible] में वादी ने यह नही बताया कि संख्या 4 काबिज काश्त [illegible] दिनांक 08.06.1994 को उसने किस विक्रेता [illegible] भूमि क्रय की थी। अतः सही उत्तर दिए जाने में कठिनाई है। मुझ प्रतिवादिया संतोष देवी पत्नी फताराम ने दिनांक 08.06.1994 को अथवा कभी भी वादी को कोई भूमि विक्रय नही की। न कबजा दिया। मुझ प्रतिवादिया संख्या 4 के पति फताराम का उसकी 1 / 3 भाग की भूमि 0.60 ऐयर पर उसकी मृत्यु दिनांक 12.08.2007 तक कब्जा था तथा उसके पश्चात से आज तक इस भूमि पर मुझ प्रतिवादिया संतोष देवी का कबजा है इस खण्ड में दर्ज चतुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

सीमाओ वाली कोई भूमि मौके पर नही है। वादी ने इस खण्ड मे सभी गलत, मिथ्या, बनावटी दर्ज किए है।

3. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 5 से इन्कार है। विस्तृत उत्तर वादोतर के खण्ड संख्या 4 में आ चुका है फताराम का सन 2007 में स्वर्गवास हो गया था। सन् 2007 में मृत्यु से पूर्व उसने वादी को कब बेदखल करने का प्रयास किया तथा किस प्रकार से वह व प्रतिवादियागण संया 3 व 4 बेदखल कर रहे थे व सहयोग कर रहे थे, कुछ भी दर्ज नही है। इस खण्ड के अनुसार बकोल वादी के यदि उसे 2008 में खातेदारी अधिकार उत्पन्न हुए थे तो 2007 में तो फताराम बेदखल प्रयास न करके दावा बेदखली ही कर वादी को बेदखल करा सकता था। जेसा कि वादोतर के खण्ड संख्या 4 में दर्ज किया गया है स्व0 फताराम के 1/3 भाग की भूमि पर उसके जीवनकाल में उसका तथा उसकी मृत्यु के पश्चात से आज तक मुझ प्रतिवादिया संतोष देवी का कबजा काश्त निरंतर चला आ रहा है। अतः वादी द्वारा मुझ प्रतिवादिया संख्या 4 को विवादित अथवा स्व फताराम की किसी भूमि से वचिंत कर दिये जाने का प्रश्न ही नही है। वादी, वादपत्र के खण्ड संख्या 3 में वर्णित भूमि का अथवा प्रतिवादीगण की अन्य किसी भूमि का खातेदार काश्तकार आज तक कभी नही हुआ है। न कानूनन हो सकता है। वादी ने इस खण्ड में सभी तथ्य मिथ्या, मनगढत व बनावटी दर्ज किए है।

4. यह कि वाद पत्र खण्ड संख्या 6 मे फताराम का दिनांक 12.08.2007 को देहान्त होना स्वीकार है। इस खण्ड में शेष तथ्यो से कतई इनकार है। वादी का स्व0 फताराम व उसकी मृत्यु के पश्चात से उसकी वरिस मुझ प्रतिवादिया संख्या 4 का वाद वर्णित भूमि के किसी 0.44 है0, पर कभी कब्जा नही रहा। अत उसका प्रतिकूल कबजा होने का व स्व0 फताराम व उसकी एकमात्र वारिस मुझ प्रतिवादिया संख्या 4 के अधिकार समाप्त होने का प्रश्न ही पेदा नही होता।

5. यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 7 में दिनांक 08.02.2013 को प्रशासन गॉवो के संग अभियान में मुझ प्रतिवादिया संख्या 4 द्वारा बहैसियत वारिश स्व फताराम उसके हिस्से की भूमि का इन्तकाल मेरे नाम दर्ज करवाने की दरवास्त प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है। इस खण्ड के शेष तथ्यों से इनकार है। इस खण्ड में यह कथन किया जाना ककि मैं प्रतिवादीया संतोष देवी, फताराम की पत्नी बनकर यह दरखवास्त फरजी दे रही थी, कतई गलत है। स्वीकार नही। मुझ प्रतिवादिया के पूर्व पति उदमीराम का दिनांक 17.12.1975 को देहान्त हो गया था। अतः उसकी मृत्यु के तुरन्त बाद ही मुझ प्रतिवादिया संख्या 4 के पिता ने हमारी बिरादरी के रीति रिवाजो के अनुसार समाज के मुखियाओ व परिवारजनों की उपस्थिति में मुझ प्रतिवादिया संतोष देवी के देवर फताराम पुत्र मातादिन जो तब अविवाहित था। के साथ मेरा नाता कर दिया ओर मे विधि पूर्वक उसकी विवाहिमा पत्नि हो गई तथा उसके जीवन पर्यन्त उसकी पत्नी रही। मेरे पति फताराम का भी दिनांक 12.08.2007 को देहान्त हो गया। ओर तब से मै संतोष देवी उसकी बेवाह होकर एकमात्र वारिश हूं। मै प्रतिवादिया संख्या 4 स्व0 फताराम के 1/3 भाग का नामान्तरकरण अपने नाम करवाने की दरखवास्त सही दे रही थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 3, 4 की और से पेश शुदा प्रतिदावा जवाब निम्न प्रकार रहा कि :–

1. यह कि प्रतिदावा के खण्ड संख्या 2 अस्वीकार है प्रतिवादिया संख्या 4 स्व उदमीराम की पत्नी है। उक्त स्व फताराम अविवाहित नाऔलाद फोत हो गया था। उक्त स्व फताराम के राशनकार्ड संख्या 369 में अकेले का नाम अंकित है, तथा ग्राम पंचायत गुर्जरवास के मृत्यु पंजियन रजिस्टर के क्रम संख्या 9 दिनांक 15.08.2007 में भी उसकी वैवाहिक स्थिति अविवाहित अंकित है तथा प्रतिवादिया संख्या 4 के समस्त दस्तावेजात में भी उसके पति का नाम स्व0 उदमीराम की अंकित है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2. यह कि प्रतिदावा के खण्ड संख्या 3 अस्वीकार है। उक्तानुसार प्रतिवादीनी संख्या 4 उक्त फताराम की बेवाह नही है, वह स्व0 उदमीराम की बेवाह है तथा वह उक्त स्व फताराम के हिस्से स्वामित्व वह हक अधिकार वाली भूमि के किसी भी अंश में काबिज नही है। वादी विवादग्रस्त भूमि में से उक्त फताराम के 1/3 हिस्से वाली भूमि में से 4 बीधा भूमि जिसका सम्पूर्ण विवरण वाद पत्र में दे रखा है पर क्रय की गई तिथि दिनांक 08.06.1994 से निरन्तर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है।

3. यह कि प्रतिदावा के खण्ड संख्या 4 जिस प्रकार अंकित है अस्वीकार है। विवादग्रस्त भूमि ख0 न0 301 रकबा 1.79 है0, पूर्व से इस विवादग्रस्त भूमि उक्त स्व फताराम व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हकपूर्वाधिकारी स्व मनीराम का हिस्सा 1.75 है0, दर्ज रिकार्ड था तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 के नाम से हिस्सा 0.04 है0, दर्ज रिकार्ड था। इस प्रकार उक्त राजस्व रिकार्ड दिनांक 08.06.1994 तक उक्तानुसार हिस्सा था। इसी कारण इकरारनामा बेचान दिनांक 08.06.1994 को विवादग्रस्त भूमि में से उक्त फताराम ने अपने हिस्से की भूमि 0.86– 1/2 है0, भूमि में से वादी को 0.44 है0, भूमि अर्थात 4 बीधा कच्ची/खाम बेचान कर दिया था। इसी कारण से उक्त इकरारनाम बाबत बेचान में 0.86– 1/2 है0, हिस्सा उक्त फताराम का दर्शाया गया था।

उक्त वाद में न्यायालय द्वारा निम्न विवाधक विरचित किये गये

1. आया वाके ग्राम पिठौला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल खाता संख्या 38 के ख0 न0 301 रकबा 1.79 है0, जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 स्व फताराम पुत्र स्व0 मातादीन का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जिसमें से वादी ने दिनांक 08.06.1994 अक्षरे आठ जून उन्नीस सौ चोरानवे को उक्त फताराम से बिल एवज 28000/रू अक्षरे अठाईस हजार में चार बीधा खाम/कच्ची अर्थात 0.44 है0, भूमि क्रय करली थी।

.............प्रमाण भार वादी

2. आया वादी दिनांक 08.06.1994 अक्षरे आठ जून उन्नीस सौ चोरानवे से लगातार विवादग्रस्त भूमि काबिज काश्त चला आ रहा है।

.............प्रमाण भार वादी

3. आया वादी को फताराम ने सन् 2007 में बेदखल करने की भरपूर कोशिश की वह क्रय की तिथि से लगातार विवादग्रस्त भूमि पर उसकी व प्रतिवादीगण की मर्जी के विरूद्व काबिज काश्त चला आ रहा है। इस भूमि से बेदखल करने में नाकाम रहे है। इस प्रकार धारा 63 (iv) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर क्रय शुद्वा भूमिका खातेदार हो चुका है, वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 जबरन बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए वादी को प्रश्नगत भूमि का खातेदार का [illegible] घोषित करवाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:35 IST
Reason: SelfAttested

.... प्रमाण भार वादी

4. आया उक्त स्व0 फताराम पुत्र मातादीन का दिनांक 12.08.2007 को अविवाहित नाऔलाद देहान्त हो चुका है प्रतिवादीगण संख्या 1 उसकी पत्नी होने से उसके हिस्से की भूमि का नामान्तरण अपने नाम से करवाने की अधिकारीनी है।।

.... प्रमाण भार प्रतिवादीनी संख्या 4

5. आया वाद वादी कानूनन पोषणीय नही होने से चलने योग्य नही है।

.... प्रमाण भार प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 ओमप्रकाश, पी. डब्ल्यू–2 गुगनराम, पी. डब्ल्यू–3 लीलाराम, के शपथ पत्र पेश किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रर्दश–3 जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070, प्रर्दश–4 जमाबन्दी सम्वत 2050, प्रर्दश–5 सूचना का अधिकार पत्र के जवाब, प्रर्दश–6 मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्टर, प्रर्दश–7 खाध एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, प्रर्दश–8 राशन कार्ड, प्रर्दश–9, प्रर्दश–2 इकरारनामा बाबत बेचान, प्रर्दश–1 जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078, पेश किये गये।

वकील प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत रिव्यू अन्तगर्त धारा 229 (2) आर.टी.ए 1955 सपठित आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी का पेश किया जिसमें पूर्व दिनांक 17/11/2016 के प्रार्थना पत्र निस्तारण 13/09/2022 को खारिज किया गया उसके सदंर्भ के रिव्यू हेतु निवेदन किया कि नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक किया गया नोन रजिस्ट्रेशन इकरारनामा जिसमें सम्पति की वेल्यू 100/रू से ज्यादा है उस प्रर प्रर्दश नही डाला जा सकता है अतः पुनः न्यायालय अपने आदेश की समीक्षा करे। वकील वादी ने ऐताराज पेश किया कि वकील प्रतिवादी प्रकरण को लम्बित रखना चाहते है 2 साल के बाद रिव्यू एप्लीकेशन नही लगाई जा सकती इसकी लिमिट 30 दिन है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 1 की रिव्यू प्रार्थना पत्र बहस अनुसार सी.पी.सी का अध्ययन किया गया। from the discovery of new and important matter or evidence witch after the exercise of due diligence was not within his know ledge on a ceont of some mistake or error apparent on the face of the record किया चुकि कोई नया तथ्य या error साबित नही हुई अतः आदेश 47 नियम 1 की रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। वकील प्रतिवादी श्री नरपाल सिंह एडवोकेट द्वारा no instruction पेश किया पी.डब्ल्यू–1 ओमप्रकाश, पी.डब्ल्यू–2 गुगनराम से जीरह बयान पूरे हुए

वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर इकबालिया जवाब पेश किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से श्री नरपाल सिंह एडवोकेट द्वारा **no instruction** पेश किया अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 ओमप्रकाश, पी. डब्ल्यू–2 गुगनराम, पी.डब्ल्यू–3 लीलाराम, के शपथ पत्र पेश किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रर्दश–3 जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070, प्रर्दश–4 जमाबन्दी सम्वत 2050, प्रर्दश–5 सूचना का अधिकार पत्र के जवाब, प्रर्दश–6 मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्टर, प्रर्दश–7 खाध एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, प्रर्दश–8 राशन कार्ड, प्रर्दश–9, प्रर्दश–2 इकरारनामा बाबत बेचान, प्रर्दश–1 जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078, पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitan Devi
Date: 2025.04.30 15:50:35 IST
Reason: SelfAttested

तनकीयात 1 से 3 को सिद्व करने का भार वादी पर हो तनकी संख्या 1 लगायत 3 को निस्तारण एक ही साथ किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। वादी वाद ग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से पर दिनांक 08.06.1994 से लगातार काबिज कास्त चला आ रहा है जिसकी पूरी जानकारी प्रतिवादीगण को है प्रतिवादीगण ने कई मर्तजा वादी को बेदखल करने की कोशिश की है परन्तु वह ऐसा करने में असफल रहे है तथा वादी को निरन्तर जबरन

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है। धारा 63 (ix) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है इस प्रकार वादी तनकी संख्या 1 लगायत 3 को अपने मौखिक साक्ष्य प्रलेखिय साक्ष्य एवं विधि के प्रावधानों के अनुसार साबित करने में सफल रहा है। इसलिए तनकीयात संख्या 1 लगायत 3 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं। तनकीयात संख्या 4 व 5 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीया संख्या 4 पर है परन्तु उसने तनकी संख्या 4 व 5 को सिद्ध करने हेतु ना ही कोई प्रलेखीय साक्ष्य पेश किया है तथा ना ही मौखिक साक्ष्य के साबित कि चाही इसलिए तनकीयात संख्या 4 व 5 को प्रतिवादीया संख्या 4 के विरूद्ध निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। दस्तावेजात की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, शपथ पत्र के आधार पर वादी का दावा स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:आदेश:–

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पिठौला तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि हाल खाता संख्या 38 के खसरा नम्बर 301 रकबा 1.7900 है0 भूमि में से रकबा 0.44 है0 अर्थात 4 बीघा कच्ची/खाम भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुंझुनू (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक --------- को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुंझुनू (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:35 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 48 / 2013 **जीरीएमएस नम्बर :– 2013 / 00033**

ओमप्रकाश बनाम गीता देवी आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णयः–

वादी की ओर से **श्री रोहित पोषवाल एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से श्री मनोज भगराज एडवोकेट तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से श्री नरपाल यादव एड. की उपस्थिति में शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण का खाता विभाजन कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पिठौला तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल खाता संख्या 38 के खसरा नम्बर 301 रकबा 1.7900 है0 भूमि में से रकबा 0.44 है0, अर्थात 4 बीधा कच्ची / खाम भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख --------- को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.30 15:50:35 IST
Reason: SelfAttested